छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

इन्द्रावती खण्ड प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, पिन–492001

दूरभाष कार्यालय–(0771–4024235 फैक्स–2442132) वेब साइट–www.siccg.gov.in ईमेल–sic.cg@nic.in

क्रमांक 2401 /स्था/छगरासूआ/17 रायपुर, दिनांक 05/12/2017

EC 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
....
....
महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 हेतु जानकारी भेजने के संबंध में।

—00—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के प्रावधानों के तहत् राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित कर राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा। अतएव गत वर्ष की भांति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को दी जाने वाली वार्षिक जानकारी के लिए कुल 8 प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। वार्षिक जानकारी जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की जावेगी।

2. कृपया अवगत होना चाहेंगे कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत होने पर विधानसभा द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है। **अतएव 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की चाही गई जानकारी संकलित कर दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगें।**

3. वार्षिक जानकारी विभागीय सचिवों के द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से एकत्रित कर एकजाई जानकारी आयोग को प्रस्तुत की जावेगी। जिन विभागों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त/संस्थाऐं/ट्रस्ट/अशासकीय संस्थाऐं आती हैं, उनके भी जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर विभागीय सचिव, विभागीय जानकारी के साथ भेजेगें। माननीय उच्च न्यायालय एवं एडव्होकेट जनरल तथा विधिक सहायता प्रकोष्ठ कार्यालयों से संबंधित जानकारी विधि विभाग के द्वारा एकत्रित कर विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी जावेगी। इसी प्रकार विधानसभा कार्यालय की जानकारी संसदीय कार्य विभाग के द्वारा, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों (विधि विश्वविद्यालय सहित) की जानकारी सम्बंधित विभागों के द्वारा, एकत्रित कर विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी

जावेगी। महामहिम राज्यपाल कार्यालय/लोकायुक्त तथा अन्य अधीनस्थ विभागाध्यक्षों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विभागीय जानकारी के साथ आयोग को भेजी जावेगी। जिन विभागों के अंतर्गत मंडल, आयोग, निगम या अन्य संस्थाऐं हैं, उनके विभागीय सचिव उन आयोगों, मंडलों निगमों अथवा संस्थाओं से प्राप्त जानकारी विभागीय जानकारी के साथ सम्मिलित कर भेजेगें। पंचायतों (ग्राम पंचायतो/जनपद पंचायत/जिला पंचायतों) की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संकलित की जावेगी। इसी प्रकार नगर निगम, नगर पालिकाऐं, नगर पंचायतों एवं अन्य नगरीय संस्थाओं की जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संकलित कर भेजी जावेगी। परिशिष्ट क. **4.8** में दी जाने वाली जानकारी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले की जानकारी उनसे संबंधित कालम में दी जानी हैं। गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के आवेदकों की संख्या शहरी और ग्रामीण दोनों स्थिति में कालम **5** में प्रविष्टि करें तथा कालम **6** में अनुसूचित जाति के आवेदकों की संख्या, कालम **7** में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की संख्या, कालम **8** में पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की संख्या, कालम **9** में अन्य वर्ग के आवेदकों की संख्या अंकित करें।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अंतर्गत सूचना आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विभागों का हैं। अतएव निर्देशानुसार अनुरोध है, कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों से जानकारी परिशिष्ट 4. 1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 4.9 संलग्न प्रपत्रों में एकत्रित एवं संकलित कर कृपया **आयोग को दिनांक 25 जनवरी, 2018 तक अनिवार्यतः भेजने का कष्ट करें।**

संलग्नः—सहपत्र कुल 08 प्रपत्र

सचिव, 12/1
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
रायपुर

D:\Manoj\Esta. Sec.\New Letter.doc

परिशिष्ट 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंतर्गत स्वप्रकटन करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण

विभाग	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंतर्गत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मेन्युअल अद्यतन करने वालों लोक प्राधिकारियों की संख्या	इन्टरनेट पर मेन्युअल प्रसारित करने वाले लोक प्राधिकारीयो की संख्या
1	2	3	4	5

परिशिष्ट 4.2

विभागीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों का विवरण

क्र.	विभाग	जन सूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	4	5	6

परिशिष्ट 4.3

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण

विभाग	प्रशिक्षित जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों /अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था/जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 4.5

प्रथम अपील एवं निराकरण का विवरण

विभाग	गत वर्ष लंबित अपीलों प्रकरणों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट 4.7

लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित फीस एवं अभिलेख शुल्क का विवरण

विभाग	अधिनियम की धारा–4(4) के तहत् संकलित राशि का विवरण	अधिनियम की धारा–6(1) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण	अधिनियम की धारा–7(1) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण	अधिनियम की धारा–7(5) के तहत् प्राप्त फीस का विवरण	अन्य संकलित राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7

परिशिष्ट 4.8

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

विभाग	प्राप्त आवेदन की कुल संख्या							
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछड़े वर्ग	अन्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या				
	शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6